मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/12/2021

क्र एफ 16-20/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा ट्राईडेन्ट ग्रुप द्वारा रू. 6500.00 करोड़ के पूंजी निवेश से बुदनी, जिला सीहोर में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब एवं औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई में कृषि आधारित एकीकृत काम्पलेक्स की स्थापना संबंधी प्रस्ताव अंतर्गत बुधनी में प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश राशि रू. 921.72 करोड से नवीन टेरीटॉवल इकाई परियोजना पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. **ब्याज अनुदान :-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार टेक्सटाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी71, नवम्बर, 2007 में वर्णित टफ अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन।
2. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - परियोजना में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी नवीन कर्मचारियों (नियमित एवं कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50% वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जाये। यह सुविधा प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 1 करोड की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी।
3. **रोजगार सृजन अनुदान** - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 08 वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन पुरूष कर्मचारियों को रूपये 5000 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह एवं समस्त नवीन महिला कर्मचारियों को रूपये 6000 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह 7 वर्षों हेतु शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ होने की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी, इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से शेष 2 वर्षों हेतु रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी।
4. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाये।
5. **विद्युत शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा स्थापित विद्युत कनेक्शन पर आवेदित परियोजना हेतु लिये गये अतिरिक्त भार पर उत्पादन प्रांरभ दिनांक से 10 वर्ष हेतु 0.25 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क प्रभारित किया जाये।
6. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - परियोजना हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई

हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

7. **अधोसंरचना विकास सहायता**- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार अधोसंरचना विकास सहायता शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

8. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 4 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-20/2021/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 14 /12/2021

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर।
5. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स ट्राईडेन्ट ग्रुप लि., ई-212, किचलू नगर, लुधियाना-141001 (पंजाब)।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग